मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	65/2020
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2020/00112
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	19.10.2020
प्रकरण निर्णित होने की दिनांक	28.04.2022

उनवान

1	भूरालाल पुत्र मोहनलाल तिवाड़ी नि.ब्राह्मणों की सेरी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— वादी

बनाम

1	**शिवनारायण पुत्र रामप्रसाद तिवाड़ी निवासी सी -103 आजाद नगर भीलवाड़ा**
2	**राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द**

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,92 A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार शर्मा तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पदमसिंह देथा की उपस्थिति में इस वाद-पत्र के आज तारीख 28.04.2022- को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि –वाद पत्र में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर मूल वाद –पत्र को इसी स्तर पर खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

इस वाद के खर्चे लेखे ---××××--- रुपये की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर ---××××---प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ---××××---द्वारा ---××××---वादी को दिया जावे।

यह आज तारीख 28.04.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय मुद्रा से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर{S.D.O.}
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

वाद के खर्चे

वदी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद–पत्र के लिए स्टाम्प	3		शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	1	
2.शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	2		अर्जी के लिए स्टाम्प	1	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			प्लीडर की फीस	–	
4.रूपयें पर प्लीडर की फीस	–		सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–		आदेशिका की तामील	–	
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	1		कमिश्नर की फीस	–	
7. आदेशिका की तामील	–			–	
योग	6		योग	2	

सहायक कलक्टर{S.D.O.}
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.05.09 15:45:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

मैन्यूअल प्रकरण संख्या	65/2020
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	200/00112
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	19.10.2020
निर्णय दिनांक	28.04.2022

उनवान

1	भूरालाल पुत्र मोहनलाल तिवाड़ी नि.ब्राह्मणों की सरेरी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

– वादी अप्रार्थी

बनाम

1	शिवनारायण पुत्र रामप्रसाद तिवाड़ी नि.सी -103 आजाद नगर भीलवाड़ा
2	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण / प्रार्थी

उपस्थित वकील वादी / अप्रार्थीगण	श्री मनोजकुमार शर्मा
उपस्थित वकील प्रतिवादी / प्रार्थी	श्री पदमसिंह देथा

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,92 A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी.

आदेश

(1) अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या एक / प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.में पेश कर संक्षेपतः निवेदन किया है कि वादी / अप्रार्थी पढा लिखा होकर पूर्ण रूप से स्वस्थ-चित्त है जिसके द्वारा जायज जरूरत हेतु भूमि को प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या एक से सप्रतिफल प्राप्त कर वादी / अप्रार्थी द्वारा विक्रय प्रतिफल राशि 40000/-रूपये प्रार्थी / प्रतिवादी के घर कैलाशचन्द्र पुत्र बद्रीलाल तिवाड़ी निवासी सरेरी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ,परिवारजन व अन्य की उपस्थिति में प्राप्त कर लिये व इसके पश्चात वादी द्वारा उप पंजीयक कार्यालय आसीन्द में जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 05.06.2020 को विक्रय पत्र पंजीयन कराया गया है। प्रतिवादी संख्या एक सदभाविक क्रेता मालिक होकर काबिज है। प्रतिवादी संख्या एक रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर मालिक व काबिज है। वादी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को राजस्व न्यायालय मे चैलेंज किया गया है जो कि प्रकरण राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.05.09 15:45:22 IST
Reason: SelfAttested

(2) प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्द राजस्व रेकार्ड की यथा[illegible] अनुतोष चाहा गया है व राज्य सरकार के विरूद्द वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 (2) [illegible] ही वाद को विचारणार्थ ग्रहण हेतु धारा 80 (2) जा.दी.का प्र[illegible] अभाव मे वादपत्र खारिज होने योग्य है। मामले में घोषणात्मक अनुतोष होने से सहखातेदारान आ[illegible]यक पक्षकार है जिसके अभाव में वाद पत्र पोषणीय नहीं होकर खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को खारिज करने बाबत् निवेदन किया गया है। प्रार्थना पत्र की प्रति वकील अप्रार्थी / वादी को दिलायी गयी।

सहायक कलक्टर{S.D.O.}
आसीन्द [illegible]

(3) वकील प्रार्थी / प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे श्री जगदीशचन्द्र पि.काशीलाल तिवाड़ी नि.ब्राह्मणों की सरेरी व कैलाशचन्द्र पुत्र बद्रीलाल तिवाड़ी नि.ब्राह्मणों की सरेरी के शपथ –पत्र पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

(4) वकील वादी / अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत नहीं कर बहस बाबत् निवेदन किया है।

(5) बहस वकील उभय – पक्ष सुनी गयी। वक्त बहस वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी ने वाद ग्रस्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के सप्रतिफल क्रय की है। प्रार्थी सदभाविक क्रेता है। विक्रय पत्र रजिस्टर्ड है जिसे राजस्व न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वाद पत्र न्यायालय के क्षैत्राधिकार से बाहर होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र खारिज किया जाना न्यायहित मे है। अतः वाद पत्र को खारिज फरमावें।

(6) वकील वादी / अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि वादी द्वारा वाद पत्र में बेचाननामा को खारिज करवाने का अनुतोष नहीं चाहा जाकर धोखाधड़ी से किये गये बेचाननामे को स्वतः शून्य घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है। राज्य सरकार को धारा 80 (2) जा.दी.का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है। वाद पत्र पर निर्णय साक्ष्य के बाद ही तय किया जा सकता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

(7) बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.के तथ्यों एंव विधि के सुस्थापित नियमों एंव वादपत्र की प्रकृति एंव अनुतोष का अध्ययन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वाद पत्र में पंजीकृत दस्तावेज के विरूद्द घोषणात्मक अनुतोष चाहा गया है जो कि राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार से परे होना जाहिर है।

वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 2 राज्य सरकार होने से सी.पी.सी.की धारा 80 एंव 80 (2) के आज्ञापक प्रावधानानुसार वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होना पाया गया है।

वादपत्र में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने से निर्णय तक वकील वादी द्वारा वाद –पत्र लौटाने का विधि की पालना बाबत् कोई कथन नहीं किया गया है।

सुस्थापित विधि अनुसार एंव वाद –पत्र की प्रकृति से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा कायम किया जावें। निर्णय खुली अदालत में सुनाया गया।

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.05.09 15:45:22 IST
Reason: SelfAttested